न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/55
मिसलनम्बर– 16 / 2024

हीरा बाई आयु 59 वर्ष पत्नी स्व. बाबूलाल निवासी टीलेश्वर मंदिर के पास, घोड़े वाला बाबा चौराहा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राकेश आत्मज स्व. बाबूलाल उम्र 33 वर्ष
2.रीना पत्नी राकेश
3.सूरज आत्मज स्व. बाबूलाल उम्र 28 वर्ष
4.सावित्री पत्नी सूरज
5.आकाश आत्मज स्व. बाबूलाल उम्र 26 वर्ष
6.आरती पत्नी आकाश
निवासीगण निवासी टीलेश्वर मंदिर के पास घोड़े वाला बाबब चौराहा कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 21/10/24

उपस्थिति:–

1.श्री नईम अख्तर प्रार्थीया अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया 59 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जो वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में आती है। प्रार्थीया अपने परिवार के साथ अपने उपरोक्त निवास पर निवास करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पति बाबूलाल का कब्जेशुदा एक मकान जो टीलेश्वर महादेव मंदिर के पास, घोड़े वाला बाबा चौराहा कोटा (राज) में स्थित है, जिसमें 6 कमरे एवं एक दुकान है। उक्त मकान का प्रार्थीया के पति के नाम बना हुआ है। प्रार्थीया के पति बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 08.05.2021 को हो चुकी है, उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया ही उपरोक्त मकान की मालिक एवं काबिज पत्नी की हैसियत से चली आ रही है। उक्त मकान में लाईट प्रार्थीया के पति के नाम से लगे हुये है, और उनके नाम से ही बिल आ रहा है। प्रार्थीया के परिवार में प्रार्थीया के अलावा अप्रार्थी नं. 1, 3, 5 (पुत्रान), अप्रार्थी नं. 2, 4, 6 (बहूयें) एवं पुत्र विनोद (विकलांग) है, जो कि सभी उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे है। उक्त मकान में सभी पुत्र एवं पुत्रवधू अपने अपने कमरो में निवास कर रहे है लेकिन प्रार्थीया के पति की मृत्यु के उपरान्त कुछ समय बाद से ही अप्रार्थीगण आयेदिन प्रार्थीया को परेशान और प्रताड़ित कर रहे है तथा गाली गलौच कर मारपीट करते है, पोष पोष गालियां देते है, खाना भी नही देते है, करन्ट लगाकर जान से मारने की धमकी देते है, प्रार्थीया के घर से ही प्रार्थीया को बाहर निकालने की धमकी देते है। प्रार्थीया की उम्र 59 वर्ष के लगभग हो चुकी है,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जो कि वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में आती है और अत्यधिक उम्र हो जाने की वजह से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गई है, प्रार्थीया जो कि घरो में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने का कार्य करती रही है परन्तु अब वृद्वावस्था होने से उक्त कार्य करने में असमर्थ हो गई है, प्रार्थीया को अपने भरण पोषण, इलाज दवाईयां व अन्य खर्चो के लिये रूपयों पैसो की जरूरत होती है, जब भी प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 1, 3, 5 से अपने भरण पोषण और अन्य जरूरत पूरी करने के लिये कहती है तो सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीया को भला बुरा कहकर गाली देते है, मरने का ताना मारते है और पूरे घर पर कब्जा करके अन्य पुत्र विनोद को भी बाहर निकालकर पूरे मकान पर कब्जा करने की धमकी देते है, समाज कन्टको को घर में इकठ्ठा करते है, शराब पार्टीया करते है, साफ सफाई नही करते, प्रार्थीया के मकान पर अप्रार्थीगण 1, 3 व 5 द्वारा अपने मिलने वाले समाज कन्टको के बड़े बड़े बैनर लगाकर प्रार्थीया को परेशान किया जाता है। और इस प्रकार लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है ऐसे में प्रार्थीया मानसिक तनाव में जी रही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया से उक्त मकान के दस्तावेज भी अपने पास रख लिये और प्रार्थीया व उसके पति के जो सोने–चॉदी के जैवरात घर में रखे हुये थे, उन्हें भी अपने पास जबरदस्ती रख लिया है, जिसे प्रार्थीया द्वारा मांगे जाने पर प्रार्थीया के साथ उक्त अप्रार्थीगण पुत्र व पुत्रवधू . गाली गलौच कर अपमानित करते है। प्रार्थीया को अकेले कमरे में बन्द कर देते है, वृद्ध आश्रम में छोड़ने की धमकी देते है, भूखा प्यासा रखकर उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के मकान में निवास करते है परन्तु पुत्र एवं पुत्रवधू होने का कर्तव्य नही निभा रहे है और ना ही प्रार्थीया का किसी प्रकार का भरण पोषण करते है और ना ही उसकी किसी प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिये आर्थिक मदद करते है। प्रार्थीया अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रही है, प्रार्थीया का पुत्र विनोद (विकलांग) को छत पर नही जाने देते , जाता है तो धक्के देकर निकाल देते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के पुत्र विनोद के साथ भी मारपीट करते है, एक बार तो मारपीट में पुत्र विनोद का हाथ फैक्वर कर दिया एवं विनोद विकलांग होने के साथ साथ टी.बी. का मरीज भी है जिसके इलाज व देखभाल में भी रूपया खर्च होता है, अप्रार्थीगण उसके इलाज व भरण पोषण में भी कोई मदद नही करते है। अप्रार्थीगण नल बिजली का भी भरपूर उपयोग एवं उपभोग करते है लेकिन हर बार बिल जमा करने में लड़ाई झगड़ा करते है अपने हिस्से के पैसे भी नही देते है, अप्रार्थीगण के प्रार्थीया के मकान की बिजली के कनैक्शन में से अन्य व्यक्ति धूलीचन्द को बिजली दे रखी है और वह भी बिजली का बिल अदा नही करता है, जब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण से इस बारे में कहा जाता है तो प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीगण गाली गलौच करते है, और मारपीट पर उतारू हो जाते है। प्रार्थीया के मकान की पानी टंकी का पानी अप्रार्थीगण खत्म कर देते है जिससे प्रार्थीया व विकलांग पुत्र को जरूरत का पानी भी नही मिल पाता है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के उक्त व्यवहार से काफी दुखी और प्रताड़ित है। अप्रार्थी नं. 1, 3, 5 अपने पुत्र होने का कर्तव्य नही निभा रहे है, उक्त मकान में किरायेदार भी नही रखते देते है, अप्रार्थी क्रम–1 व 2 करीब 6 माह पूर्व उक्त मकान से छावनी शिफ्ट हो गये है लेकिन प्रार्थीया के मकान में कब्जा किये हुये है । इसलिये प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय के जर्ये अप्रार्थी नं. 1, 3 व 5 को उक्त मकान से बैदखल करने के आदेश प्राप्त करे, और जब तक अप्रार्थीगण प्रार्थीया के मकान में निवास करे उन्हे पाबन्द करे कि प्रार्थीया के भरण पोषण के रूप में प्रत्येक अप्रार्थी नं. 1, 3 व 5 प्रार्थीया को 5000/–रूपये माहवार कुल 15,000/–रूपये अदा करे। प्रार्थीया अत्यधिक उम्र की बुजुर्ग महिला है जिसे इस उम्र में घर में सुख शांति की आवश्यकता होती है तथा इस उम्र में हारी बीमारी में भी हर समय रूपयों पैसो की आवश्यकता होती है लेकिन अप्रार्थीगण अपने किसी भी कर्तव्य का पालन नही कर रहे है इसके विपरीत प्रार्थीया के साथ गाली गलौच व अभद्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यवहार कर प्रार्थीया को मानसिक रूप से परेशान व प्रताड़ित करते चले आ रहे है जिसके लिये प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण की शिकायत करने पुलिस थाने पर गयी तो उन्होने पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत देने को कहा गया , जिस पर प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर को दिया जिसमें कोई कार्यवाही नही करते हुये पुलिस द्वारा प्रार्थीया को उक्त अधिनियम के तहत भी माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी गई, जिस पर प्रार्थीया द्वारा उक्त मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के क्रिया कलापो से प्रार्थीया भय के अधीन जीवन यापन कर रही है। प्रार्थीया का आय का कोई जरिया नही है, प्रार्थीया की वृद्वावस्था है और अक्सर बीमार रहती है, प्रार्थीया अब काम धन्धा भी नही करने की स्थिति में है. जबकि अप्रार्थी नं. 1 नक्शे बनाने का कार्य करता है, जिससे उसे 50,000/–रूपये मासिक आय प्राप्त होती है, अप्रार्थी नं. 3 मकान रिनोवेट करने का कार्य करता है, जिससे उसे 50–60 हजार रूपये मासिक आय प्राप्त होती है, तथा अप्रार्थी नं. 5 मकान बनाने के ठेके लेता है. जिससे उसे भी 50–60 हजार रूपये मासिक आय प्राप्त होती है, इस प्रकार अप्रार्थी नं. 1, 3 व 5 प्रत्येक से से प्रार्थीया को 5,000/– 5000/– रूपये कुल 15.000/– प्रतिमाह दिलाये जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी नं. 1 3 व 5 प्रार्थीया को 15,000/–रूपये प्रतिमाह अदा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अप्रार्थी नं. 1, 3 व 5 प्रत्येक से 5000/– 5000/–रूपये मासिक कुल 15,000/–रूपये मासिक दिलवाये जाने, प्रार्थीया की देखभाल, सेवा सुश्रूषा आदि करने के आदेश प्रदान किये जावे, नही दिये जाने की सूरत में अप्रार्थीगण को उक्त मकान टीलेश्वर मंदिर के पास, घोड़े वाला बाबा चौराहा कोटा (राज) से बैदखल किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं प्रार्थीया के मकान के कागजात व प्रार्थीया के जैवरात अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थी नं0 1, 3, 5 से 5,000/–, 5,000/– रूपये मासिक दिलाये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीया वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने से प्रार्थीया अपनी सार–सभांल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः अप्रार्थी कम 1, 3, 5 को निर्देश दिया जाता है कि अपनी माता को प्रत्येक 2000/– मासिक अर्थात कुल 6000/– मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे उपरोक्त वर्णित मकान टीलेश्वर मंदिर के पास, घोड़े वाला बाबा चौराहा कोटा में प्रार्थिया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थिया की सेवा सुश्रुषा एवं आवश्यकतानुसार भरण पोषण की व्यवस्था करे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 21/10/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★